

15-9-15

(4)

पत्रावली पेश हुयी। वादी मय वकील
 उपस्थित वादी राजीनामा दे जाने के
 बाद को आगे चलाना नहीं चाहता है।
 वादी वकील ने बाद पत्र पर (कोर्ट) को
 नोट प्रेषित किया है। अतः
 बाद वादी नोट प्रेषित के स्वरुप
 किया जाता है। पत्रावली के लिये
 दोहरा नमूना के रूप में रखा
 दफ्तर दाखिल है।

उप खण्ड अधिकारी
 उनीयारा जिला टोंक

50

Note
pdf

कुंजेश कुमार
 अहम दलोल
 सात दिवस

Solely by

